

मीका सिंह की हमर कार का फर्जीवाड़ा, झाबुआ में शिकायत

पार्श्वगायक और पॉप सिंगर मीका सिंह की नारंगी कलर की हमर कार को लेकर म प्र, के झाबुआ के एसपी से शिकायत की गई है। एक व्यक्ति ने एसपी को आवेदन सौंपकर इसके रजिस्ट्रेशन की जांच कर कार्रवाई की मांग की।

दरअसल जिस हमर की सवारी मीका करते हैं, वो झाबुआ आरटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नाम-पता दिया गया, वो पूरी तरह से फर्जी है। कुछ साल पहले मीडिया में मामला आया और जांच की बात हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई थी।

मुकेशकुमार परमार निवासी समोई थाना रानापुर ने एसपी आबिद खान से शिकायत की। इसमें बताया कि मीका सिंह की हमर कार झाबुआ आरटीओ में रजिस्टर्ड है। कार का नंबर एमपी 45 बीए 0005 है। ये मुस्तफा मोहम्मद मनीकोठ के नाम से है। इसमें 5 कॉलेज रोड झाबुआ का पता दिया गया है।

31 मार्च 2007 को पंजीकृत हुई कार का रजिस्ट्रेशन फर्जी पते और फर्जी नाम से कराया गया। 5 कॉलेज मार्ग पर इस नाम का कोई व्यक्ति न तो निवास करता है और न ही कभी किराएदार के रूप में रहा। आवेदन में मांग की गई है कि मीका द्वारा इस्तेमाल की जा रही कार के पंजीयन की जांच कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए।

लंबी है फर्जीवाड़े की कहानी

झाबुआ आरटीओ में 2006 से 2008 तक कई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में फर्जी पते और नाम बताए गए। ज्यादातर में वीआईपी नंबर अलॉट किए गए और भारी टैक्स लिया गया। आश्चर्य की बात ये है कि झाबुआ में जिन जगहों पर झोपड़े बने हुए हैं, उन पतों पर फर्जी नाम बताकर डेढ़ करोड़ की रॉत्सरायक फैटम कार के पंजीयन कराए गए। ग्राम भगोर के एक पते पर महंगी कार रजिस्टर्ड है। इसी तरह बीएमडब्ल्यू कारें और 11 लाख की यामाहा बाइक के पंजीयन भी यहां किए गए हैं।

साभार <http://naidunia.jagran.com/madhya-pradesh/> सेलु